प्राक्कथन

इस प्रतिवेदन में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (अब दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में समाविष्ट) पर निष्पादन लेखापरीक्षा, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में शहरी परिवहन के संचालन पर लेखापरीक्षा, तथा उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड की निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुसरण लेखापरीक्षा एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संव्यवहार लेखापरीक्षा पर आधारित छः प्रस्तरों के परिणाम सम्मिलित हैं।

सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) एवं धारा 139 (7) के अन्तर्गत कम्पनियों को सम्मिलित करके) के लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों (चाटर्ड अकाउन्टेन्ट) द्वारा प्रमाणित लेखे सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के अध्यधीन होते हैं एवं सीएजी इस पर अपनी टिप्पणियां देते हैं अथवा सांविधिक अंकेक्षकों के प्रतिवेदनों को पूर्ण करते हैं।

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) तथा (3) के अन्तर्गत सीएजी छः सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा करता है। सीएजी चार सांविधिक निगमों यथा सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 के अनुसार उत्तर प्रदेश वन निगम, सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अनुसार उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद एवं उत्तर प्रदेश जल निगम, का एकल लेखापरीक्षक है।

राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अनुसार सीएजी को उत्तर प्रदेश वित्त निगम का निगम द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट के द्वारा लेखापरीक्षा करने के अतिरिक्त सम्परीक्षा करने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा की गयी लेखापरीक्षा के अतिरिक्त सीएजी को राज्य भण्डारण निगम अधिनियम, 1962 के अनुसार उनके लेखाओं की सम्परीक्षा करने का अधिकार है।

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के प्रावधानों के अन्तर्गत, सरकारी कम्पनी या निगम के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को उत्तर प्रदेश विधान मंडल के पटल पर प्रस्तुत करने हेतु सीएजी द्वारा सरकार को प्रेषित किया जाता है।

इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित प्रकरण उल्लिखित हैं:

1. उत्तर प्रदेश में 103 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) में से, 95 पीएसयू के लेखे 1981–82 से बकाया थे। लेखों का तैयार न होना/देरी होना, तथ्यों के अनुचित प्रस्तुतीकरण, धोखाधड़ी और दुरूपयोग के जोखिम से भरा हुआ होता है।

2. पिछले तीन वर्षों में अपने लेखाओं का अन्तिमीकरण करने वाले 22 पीएसयू द्वारा निवेश पर ऋण की औसत लागत दर 6.52 प्रतिशत के सापेक्ष औसतन 19 प्रतिशत का नकारात्मक प्रतिफल अर्जित किया गया जिससे सार्वजनिक कोष को, उनके पिछले तीन वर्षों में अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के आधार पर,

₹ 11,920.32 करोड़ की कुल हानि हुई। शेष 56 पीएसयू जिनके लेखे अन्तिमीकृत नहीं हुए हैं, की हानि का आकलन नहीं किया जा सकता है।

3. राज्य सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में 22 कार्यरत पीएसयू को ₹ 56,273.05 करोड़ एवं तीन अकार्यरत पीएसयू को ₹ 7.03 करोड़ की बजटीय सहायता, इनके लेखाओं का अन्तिमीकरण न होने के बावजूद, देने का आधार स्पष्ट नहीं है।

4. एक निगम (उत्तर प्रदेश जल निगम) में कमियां इतनी चिन्ताजनक हैं कि सीएजी ने इसके लेखाओं पर अभिमत देने से मना कर दिया है। सांविधिक अंकेक्षक द्वारा भी चिन्ताजनक कमियां होने के कारण उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के वर्ष 2008–09 के लेखे पर अभिमत देने से मना कर दिया।

5. राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य के पुर्नगठन के 17 वर्ष बाद भी छः पीएसयू की सम्पत्तियों एवं दायित्वों का विभाजन पूर्ण नहीं किया है।

6. डिस्कॉम द्वारा उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत उनके वित्तीय लक्ष्य काफी हद तक प्राप्त कर लिये गये तथापि परिचालन लक्ष्यों की प्राप्ति में विफल रहे।

7. निष्पादन लेखापरीक्षा उत्तर प्रदेश में 2012–17 (11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना) की अवधि में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के निरूपण, अनुमोदन एवं क्रियान्वयन आच्छादित करती है। आरईसी ने 2012–17 की अवधि में 75 जिलों में 86 परियोजनाओं के लिए ₹ 11,697.83 करोड़ अनुमोदित किये। 75 जिलों में से, 11 जिले 11वीं पंचवर्षीय योजना, 53 जिले 12वीं पंचवर्षीय योजना एवं 11 जिले दोनों योजनाओं में आच्छादित थे एवं आरईसी ने डिस्कॉमों की लापरवाही के कारण ₹ 1,197.22 करोड़ की प्रतिपूर्ति रोक दी थी। लेखापरीक्षा में दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के प्रकरणों (यथा, अनुदान की उपलब्धता होने पर भी डिस्कॉम द्वारा आरईसी से ऋण का आहरण) भी देखे गये जिससे सार्वजनिक कोष पर ब्याज का परिहार्य भार पड़ा।

8. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में शहरी परिवहन के संचालन पर लेखापरीक्षा में राज्य के तीन शहरों में प्रदान की गयी नगरीय परिवहन सेवा में कमियाँ परिलक्षित हुई।

9. भूखण्डों के विक्रय पर ₹ 33.89 करोड़ का अवसंरचना अधिभार का नहीं वसूला जाना, ₹ 16.25 करोड़ के बकाये की वसूली में ठेकेदार को अनुचित लाभ, प्रतिस्थापन योग्य मीटर बॉक्स अलग से क्रय करने की प्रणाली न होने के कारण ₹ 3.69 करोड़ की हानि एवं एक उपभोक्ता से ₹ 1.28 करोड़ का राजस्व कम भारित किये जाने के दृष्टान्त प्रतिवेदित किए गए।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत, लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम तथा लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी है।